राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम राजदीप पारीक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/04/2026	523/2026 225	

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई | पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/05/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं अपीलार्थी का यह मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अन्तरिम स्थगन पर कोई सुनवाई नही की जा रही है | चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है जिसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों की सुनवाई होकर युक्तियुक्त आदेश पारित होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है एवं अपीलार्थी ने भी दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनकर अग्रिम युक्तियुक्त आदेश पारित नही करने की आपत्ति प्रकट की है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपीलार्थी की सुनवाई उपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/05/2025 के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे 30 दिवस में अपीलार्थी सहित उपस्थित पक्षकारान की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधान का अनुसरण करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर